21

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक : .... I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3862

01. नवल सिंह, वयस्क
02. लाल सिंह, वयस्क
03. एलकार सिंह, वयस्क
तीनों पुत्रगण स्व. गुमान सिंह
निवासी – ग्राम रूसल्ला अभयराज,
तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

हुकुमसिंह आत्मज प्रभुलाल, वयस्क
निवासी – ग्राम रूसल्ला अभयराज,
तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2017, जो प्रकरण क्र. 107/अ–12/2016–17 में न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रूसल्ला अभयराज स्थित भूमि खसरा क्र. 107/1/1 रकबा 0.451 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रतिप्रार्थी ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो उक्त न्यायालय के प्रकरण क्र. 107/अ–12/2016–17 पर दर्ज़ किया जाकर कार्यवाही की जा रही थी, जिस दौरान प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 12.06.2016 को इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की, कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि का बंटवारा अपने मनमाने ढंग से प्रतिप्रार्थी के पिता प्रभुलाल ने कराया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है।

निरंतर .....

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरि निवास "दुर्गा चौक"
तलैया, भोपाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

नवल सिंह / हुकम सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / विदिशा / भू0रा0 / 2017 / 3862 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1d.10.2017	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 107 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा मौके पर फसल खड़ी होने के कारण हल्का पटवारी एवं आर0आई0 को अनावेदक की भूमि का टी0एस0एम0 मशीन से सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश के उपरांत प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	